न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी –जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 07 / 2024 / सरफैसी(जी.सी.एम.एस–2024 / 7)

केपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय–502, टावर–ए.पेनिन्सूला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 क्षेत्रीय कार्यालय द्वितीय तल, 3 बी पूसा रोड, ब्लॉक 18–ए, डब्ल्यू ई.ए. करोल बाग नई दिल्ली–110005 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री जितेन्द्र सिंह राजावत

...........प्रार्थी

बनाम

1 शैलेष तेली पुत्र शान्ति लाल तेली निवासी– कोठारियों का मौहल्ला, सूरजपोल रोड, सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)–313027

2 श्रीमती भूरी बाई पत्नि शान्ति लाल तेली निवासी –सुरजपोल रोड सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)–313207

...........ऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश

दिनांक .07.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितिय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक / वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 22,35,033 / – रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद(सम्पति पट्टा संख्या–132, वार्ड नम्बर –15 सुरजपोल रोड कोठारियों की गली और तेलीयो की गली आवादी कस्बा और तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)–313027 कुलिया क्षेत्रफल 382.52 वर्ग फिट) को प्रार्थी बैंक / कम्पनी के पक्ष में रहन / हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक / कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति / सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 06.12.2023 तक 23,62,735 / – रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन / हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक / वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपय 22,35,033 / –रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 06.12.2023 तक 23,62,735 / – रूपये वसूल किये

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सलूम्बर (राज.)

जाने हैं। ''दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002'' की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संवंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (सम्पति पट्टा संख्या–132, वार्ड नम्वर –15 सुरजपोल रोड कोठारियों की गली और तेलीयो की गली आवादी कस्वा और तहसील सलूम्वर जिला सलूम्बर(राज.)–313027 कुलिया क्षेत्रफल 382.52 वर्ग फिट) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर को प्रेषित करते हुए लिखा जावें कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सलूम्बर (राज.) *

(जसमीत सिंह संधू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सलूम्बर